

[भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, तारीख 01 अक्टूबर, 2020

सा. का. नि... (अ).- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के अधिसूचना संख्या 72/2020- केन्द्रीय कर, दिनांक 30 सितंबर, 2020, जिसे सा. का. नि 603 (अ), 30 सितंबर, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग 2 खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में :-

- पृष्ठ 1 में, पंक्ति 15 में, “ निर्देश कूट ” के स्थान पर “प्रत्युत्तर कोड ” पढ़े;
- पृष्ठ 2 में, पंक्ति 3 में, “ निर्देश कूट ” के स्थान पर “प्रत्युत्तर कोड ” पढ़े ।

[फा. सं. सीबीईसी-20/06/09/2019-जीएसटी]

(प्रमोद कुमार)
निदेशक, भारत सरकार